न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द शर्मा द्वितीय (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या - 01 / 63

तारीख दायर - 05 / 04 / 2010

उनवान

1. श्रीमती सारिका गोठवाल पत्नि रामखिलाडी जाति मीणा निवासी गुवाडाहार तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। -वादीनी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय अलवर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब थानागाजी अलवर राजस्थान।

– प्रतिवादीगण।

॥ दावा अर्न्तगत धारा 88,89 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट ॥

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीनी।
2. श्री पैराकार सरकार एडवोकेट प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक:–11.05.2018

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाकै ग्राम गुवाडा बांदीपुल तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में हाल आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.89 हैक्टर स्थित चली आती है। जो आराजी दावा हाजा में विवादित बयान की गयी है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न वाद पत्र है।

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवादित आराजी वादीनी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस आराजी का वादीनी काबिज काश्तकार खातेदार चली आती है उपरोक्त आराजी वादीनी ने पूर्व खातदेार भूपेशकुमार पुत्र मूलचन्द मीना से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा कीमतन खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। बरोज खरीद से वादीनी उक्त आराजी रकबा 0.89 हैक्टर पर काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। पूर्व खातेदार ने वादीनी को मौके पर 0.89 हैक्टर रकबा पर कब्जा सम्भलवाया था। आज भी मौके पर वादीनी का कब्जा काश्त खातेदारी का मौजूद है।

वादीनी की उपरोक्त विवादित आराजी के लगते हुए तरफ दक्षिण में सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 1.08 हैक्टर स्थित है। वादीनी बरोज खरीद से उपरोक्त विवादित आराजी पर उत्तर दक्षिण लम्बाई मे अजबगढ प्रतापगढ वाली सडक के सहारे सहारे पूर्वी भाग पर काबिज चली आती है। और काबिज रहकर काश्त करती आ रही है। और आज भी मौके पर वादीनी का तरफ पूर्व साइड में खसरा नम्बर 77 व 78 पर उत्तर दक्षिण लम्बाई में सडक के सहारे सहारे काबिज है वादीनी की विवादित आराजी के तरफ पश्चिम में पहाड की पत्थरीली जमीन स्थित है। हाल बन्दोबस्त कर्मचारियों ने वादीनी की विवादित आराजी का हाल नक्शा में तितम्बा पहाड की जमीन को मिलाकर एवं कम रकबा 0.79 हैक्टर का तितम्बा काट दिया। जो कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है एवं वादिनी के हकूको के मुकाबिले बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत इन्द्राज नक्शा में वादीनी उक्तानुसार जरिये अदालत दुरुस्ती कराने की अधिकारी है।

वादीनी उक्तानुसार विवादित आराजी की काबिज काश्तकार खातदेार है। वादीनी पर्दानसीन महिला है जो कानून की जानकारी नही रखती है। वादीनी ने जब अपनी आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने राजस्व रिकार्ड की नकुलात प्राप्त करने पटवारी हल्का के पास दिनांक 05.03.2016 को गयी और रिकार्ड नक्शा की नकुलात प्राप्त की और पटवारी हल्का के बताये जाने पर की तुम्हारी आराजी नक्शा रिकार्ड में गलत कटा हुआ है। व कम रकबा दर्ज है। एवं पहाड की जमीन को मिलाकर काटा हुआ है। उक्तानुसार हाल रिकार्ड नक्शा में जो इन्द्राज दर्ज चला आता है वह इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून व मौका है एवं वादीनी के हकूको के मुकाबिले

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

बातिल वो बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। जिस गलत इन्द्राज को हाल नक्शा में वादीनी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 77 व रिवायतक खसरा नम्बर 78 को मिलाकर कुल रकबा 0.89 हैक्टर पूर्व साइड का जो कि सड़क अजबगढ़ प्रतापगढ़ के सहारे सहारे उत्तर दक्षिण लम्बाई में मोके कब्जा के अनुसार जरिये अदालत नक्शा में दुरूस्ती करवाने की अधिकारी है। जिस हेतु भी यह वाद पत्र पेश है।

दावा नक्शा दुरूस्ती इन्द्राज बाबत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राज्य सरकार के अधिकारी व प्रतिनिधि है जिनके खिलाफ दावा पेश करने से पहले दफा 80 जा0 दी0 का नोटिस 02 माह की अवधि का दिया जाना आवश्यक है। जो नोटिस वादी ने अपने वकील साहब के जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 10-03-2016 को दिया जा चुका है। लेकिन दावा आवश्यक प्रकृति का है। इसलिये दावा नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पहले ही पेश करना लाजिम हुआ है जिसकी स्वीकृति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र दफा 80/2/जा0दी0पेश है।

बिनायदावी व बिनायमुखास्मत दिनांक 05/03/2016 को गलत इन्द्राज की जानकारी होने एवं नोटिस देने दिनांक 10/03/2016 को ग्राम गुवाडा बादीपुल सीमा न्यायालय में पैदा हुई है।

विवादित आराजी ग्राम गुवाडा बांदीपुल तहसील थानागाजी में स्थित है। और फरीकेन मुकदमा भी अन्दर हदूद अदालत श्रीमानजी के निवासी है। इसलिये दावा अदालत श्रीमानजी के श्रवण योग्य है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा में अंकित किया गया है कि वादिनी के खेत का नक्शा रिपोर्ट पटवारी के अनुसार रकबा बरारी में 0.09 है कम पाया लेकिन उक्त नक्शा पूर्वानुसार है। सरकारी एकवे से दुरूस्ती कराने की वादिनी अधिकारी नही है। वादिनी इस आधार पर ख.नं. 77 78 में से नवीन नक्शा संशोधित कराना चाहती है कि उस का पश्चिमी भाग पथरीला व

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

काश्त योग्य नही है। इस आधार पर नक्शा दुरूस्ती की अधिकारी नही है। वादिनी अपना दावा पैमाईश रिपोर्ट मौका कमिश्नर साबिक नक्शे, रकबा बरारी से सिद्ध करे।

विद्वान अधिवक्ता वादिनी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान स्पष्ट किया गया कि वादनी के खसरा नम्बर 77 का रकबा 0.89 है0 है जबकि पैमाईश कराने पर 0.79 है0 ही बनता है और वादनी का नक्शा तितम्बा जो काटा गया है वह मौके के खिलाफ काटा गया है क्योंकि वादनी का कब्जा मौके पर ख.नं. 77 व 78 पर है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध होता है। ख.नं. 78 रकबा 0.89 है0 पर मौके पर लगभग 0.39 है0 भूमि पर खातेदार का कब्जा है बाकी पश्चिमी भाग पहाडी की तरफ 0.50 है0 भूमि पथरीली है जिसका उपयोग काश्तकार द्वारा नही किया जा रहा है। ख.नं. 78 रकबा 1.08 है0 सिवायचक लगानी (बारानी तृतीय) दर्ज रिकार्ड है जिस पर सडक के सहारे उत्तर दक्षिण लम्बाई में लगभग 0.50 है0 भूमि पर आज दिनांक को मौके पर वादीनी का कब्जा है जिसका नजरी नक्शा पटवारी हल्का द्वारा पत्रावली में पेश किया गया है। अतः दावा वादनी पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार डिक्री फरमाया जावे। दावा डिक्री करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादनी की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 वाके गुवाडा बॉदीपुल के खाता संख्या 4 के अनुसार वादनी खरीदार खातेदार दर्ज रिकार्ड है परन्तु वादनी की विवादित आराजी का जो नक्शा में तितम्बा काटा गयाहै वह मौके के खिलाफ काटा गया है। मौका कब्जा बाबत पटवारी हल्का अजबगढ से रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार ख.नं. 77 रकबा 0.89 है0 मे से मौके पर लगभग 0.39 है0 भूमि पर वादनी का कब्जा है बाकी पश्चिमी भाग पहाडी की तरफ 0.50 है0 भूमि पथरीली है जिस का उपयोग वादनी द्वारा नही किया जा रहा है तथा ख.नं. 78 सिवायचक लगानी (बारानी तृतीय) दर्ज रिकार्ड है जिस पर सडक के सहारे उत्तर दक्षिण लम्बाई में लगभग 0.50 है0 भूमि पर आज दिनांक को वादनी का मौके पर कब्जा है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का शामिल पत्रावली है। वादनी के कब्जे बाबत अन्य काश्तकारों द्वारा शपथ पत्र भी पेश किये

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
...गाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

है: अतः मौका रिपोर्ट पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार वादनी का दावा डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि दावा वादनी डिक्री किया जाता है तथा विवादित हाल आ.ख.नं. 77 रकबा 0.89 है0 वाके ग्राम गुवाडा बॉदीपुल का तितम्बा मौका कब्जा मुरार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वादनी को ख.नं. 77 रकबा 0.89 है0 में से 0.39 है0 रकबा वादनी के खाते में तथा शेष 0.50 है0 रकबा सिवाय चक लगानी (बारानी तृतीय) तथा ख.नं. 78 रकबा 1.08 है0 में से 0.50 है0 रकबा सडक के सहारे उत्तर दक्षिण लम्बाई में मौका कब्जा अनुसार वादनी के खाते में ख.न. 77 रकबा 0.50 है0 के बदले में रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार नक्शा दुरूस्ती का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प अजबगढ में सुनाया जाकर लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 3

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, [illegible]

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलाशचंद शर्मा II R.A.S.

① श्रीमति [illegible] पत्नि [illegible] निवासी [illegible] ... बनाम ① राज्य सरकार [illegible] ② [illegible] ... –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नम्बर – [illegible] 514/16

निर्णय दिनांक :– 11/5/2018

वादी की ओर से श्री [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से श्री [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/5/18 को श्री कैलाशचंद शर्मा II R.A.S. उप खण्ड अधिकारी [illegible] के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा विवादित [illegible] 77 रकबा 0.89 हे. [illegible] 0.50 हे. [illegible] 78 रकबा 1.08 हे. [illegible] 77 रकबा 0.50 हे. [illegible]

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। [illegible]

यह आज तारीख 11/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर [illegible]

अध्यक्ष
[illegible]
राजस्व लोक अदालत
[illegible]

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—	आदेशिका की तामील	—
6. कमिश्नर की फीस	—	कमिश्नर की फीस	—
7. आदेशिका की तामिल	—		—
जोड़	—	जोड़	—

Scanned by CamScanner